



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं० पटना 492) पटना, वृहस्पतिवार, 7 जुलाई 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
07 जुलाई 2022

सं० Exp-21/2020/(खंड-27)बाजपट्टी-94—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या- 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III दिनांक 26.05.2022 से एतद्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के 27-बाजपट्टी, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार (जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक) के अभ्यर्थी मो० अनीसुर रहमान, वार्ड नं०-03, ग्राम+डाकघर+थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी, बिहार को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरहित है (हिन्दी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक:-26 मई, 2022/11 ज्येष्ठ, 1944 (शक)

सं० 76/बिहार-वि.स./2020/27/सी.ई.एम.एस.-III—यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2020 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./64/2020 दिनांक 25 सितम्बर, 2020 के जरिए की गई थी। कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 10 नवंबर, 2020 थी।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है;

और यतः, 27-बाजपट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढ़ी**, बिहार द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 08 जनवरी, 2021 के पत्र सं.व्यय-21/2020(खंड-27) **बाजपट्टी-251** के जरिए अग्रेषित दिनांक 12 दिसंबर, 2020 की रिपोर्ट के अनुसार **मो० अनीसुर रहमान**, जो बिहार के **27-बाजपट्टी** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले बिहार के **(जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक))**, के अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढ़ी**, बिहार, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए **मो० अनीसुर रहमान**, को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25 जून, 2021 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए **मो० अनीसुर रहमान**, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप से अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें ;

और यतः, उक्त नोटिस अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढ़ी** द्वारा अपने दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा०, सीतामढ़ी के जरिए प्रस्तुत की गई;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **सीतामढ़ी** द्वारा दिनांक 08 नवंबर, 2021 के पत्र संख्या 450/निर्वा०, सीतामढ़ी के जरिए प्रस्तुत की गई संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि **मो० अनीसुर रहमान**, ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि **मो० अनीसुर रहमान**, निर्वाचन खर्चों को लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-
“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

- निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- उस असफलता के लिए कोई उचित कारण या न्यायोचित नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के **27-बाजपट्टी**, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले बिहार **(जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक))** के अभ्यर्थी **मो० अनीसुर रहमान**, **वार्ड नं०-03, ग्राम+डाकघर+थाना-नानपुर, जिला-सीतामढ़ी, बिहार** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
कुमार राजीव,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 492-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>